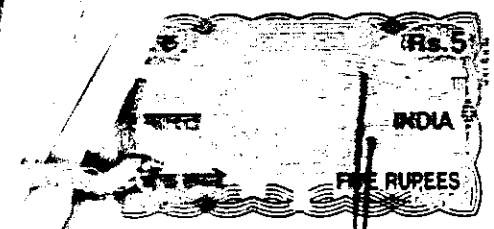

₹ 5 INDIA FIVE RUPEES

₹ 10 COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये

(152)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण

उत्तमसिंह पुत्र शिवचरणसिंह जाति ठाकुर

निवासी–ग्राम कुथियाना तहसील–अम्बाह

जिला–मुरैना

विरूद्ध

1. प्रेमसिंह पुत्र श्यामलाल जाति ठाकुर

निवासी–ग्राम कुथियाना तहसील–अम्बाह

जिला–मुरैना

2. मध्यप्रदेश शासन

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 19–02–2013 न्यायालय तहसीलदार अम्बाह जिला–मुरैना के प्रकरण क्रमांक–10/2012–13/अ–12 अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महादय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, आवेदक ग्राम–कुथियाना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2184 क्षेत्रफल 4 बीसवा का अभिलिखित भूमि स्वामी एवं आधिपत्य धारी है आवेदक अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर विद्यालय हेतु भवन का निर्माण कर रहा है जिसका कि आवेदक को अधिकार है.

2. यह कि, आवेदक की भूमि के पास ही अनावेदक–1 की भूमि सर्वे क्रमांक 2189 एवं 2190 स्थित है आवेदक एवं अनावेदक की भूमि के मध्य लगभग 70 वर्ष पूर्व से मेढे डली हुयी है आवेदक एवं अनावेदक–1 के मध्य आजतक कोई विवाद स्वत्व एवं आधिपत्य संबंधी नहीं रहा है.

3. यह कि, आवेदक द्वारा भवन निर्माण करने के पश्चात अनावेदक–1 के मन में दुर्भावना उत्पन्न हुयी एवं उसने तहसील न्यायालय में अपनी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिया सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक एवं अनावेदक की भूमि पृथक–पृथक पायी गई एवं आवेदक द्वारा किया गया निर्माण आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 2184 में होना पाया गया.

4. यह कि, अनावेदक ने तहसील द्वारा किये गये सीमांकन को कभी चुनौती नहीं दी उक्त सीमांकन ... अनावेदक ने भू–अधीक्षक कार्यालय में सीमांकन हेतु एक आवेदन दिया ... का कोई अवसर नहीं दिय...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3593–एक/13 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, अम्बाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 10/2012–13/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 19–2–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 प्रेमसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने भू–स्वामित्व की ग्राम कुशियाना स्थित भूमि सर्वे नं. 2189, 2190, 2206 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेश जारी किया गया । तदुपरांत राजस्व निरीक्षक मंडल करकवेल द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन पंचनामा सहित पेश किया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा की गई है । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक द्वारा जो आवेदन पेश किया गया उसमें आवेदक सहित अन्य पड़ौसी कृषकों की कोई जानकारी वर्णित नहीं की गई है और ना ही उनके खसरा नंबरों का उल्लेख है इस प्रकार सीमांकन की समस्त कार्यवाही अवैध है ।	

 R 3593-1/13 मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह तर्क दिया गया कि अनावेदक द्वारा पूर्व में भी सीमांकन कराया गया था तथा उसमें अनावेदक की भूमि का कोई भाग आवेदक के आधिपत्य में नहीं पाया गया । यह भी कहा गया कि विवादित आदेश दिनांक 19–2–13 की आदेश पत्रिका पढ़ने मात्र से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 19–2–13 को दर्ज किया गया एवं प्रकरण दर्ज होने के पूर्व अवैध रूप से कराए गए सीमांकन को मान्य किया गया है । इस प्रकार सीमांकन की समस्त कार्यवाही अवैध होने से निरस्ती योग्य है ।	
	4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधिवत तरीके से की गई है । राजस्व निरीक्षक द्वारा कार्यवाही विधिवत न करने पर उनके द्वारा स्वयं तहसीलदार को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत तरीके से सीमांकन की कार्यवाही न करने पर प्रकरण में सीमांकन दल द्वारा दिनांक 6–2–13 को सीमांकन किया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार ने की है । इस प्रकार सीमांकन की कार्यवाही विधिसम्मत है ।	
	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने इस प्रकरण में कलेक्टर भू–अभिलेख जिला मुरैना के पत्र दिनांक 12–2–13 के साथ संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि की गई है । उक्त सीमांकन किसके आदेश से किया गया इसका कोई उल्लेख तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं में नहीं है । इसी प्रकार सरहदी काश्तकारों को कोई सूचना दी गई हो इस संबंध में कोई सूचनापत्र अभिलेख में नहीं है । अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आवेदन में यह	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3593–एक/13 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के चारों सीमाओं में किस भूमिस्वामी की भूमि हैं । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में तहसील न्यायालय का जो आदेश है वह पुष्टि योग्य नहीं है । परिणामतः तहसीलदार, अम्बाह द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–2–13 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को विधिवत सूचना देकर तथा उनकी उपस्थिति में मौके पर जांच कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन का विधिवत निराकरण करें । सदस्य	